न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 07/2018 निगरानी

उनवान

1. नारायण लाल पुत्र स्व. लेला अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. मु. केसर पत्नि स्व. लेला अहीर निवासी ओज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—निगराकार

बनाम

1. बंशी पुत्र रूपा अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—गैर निगराकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 ।

उपस्थित —

1. अधिवक्ता निगराकार — श्री दिनेश कुमार जोशी।
2. अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01— श्री भैरूलाल बापना।

निर्णय

दिनांक :19.03.2024

1— प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी संख्या 228 रकबा 6 बीघा 01 बिस्वा दर्ज होकर स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 392 कायम हुए। उक्त साबिक आराजी नंबर 228 मी में से 4 बीघा भूमि का आवंटन बंशी पुत्र रूपा अहीर विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 19.12.1975 को विधिविरूद्ध व पटवार हल्का की गलत रिपोर्ट तथा कोरम की आवंटन कमेटी की सदस्य संख्या भी पूर्णता में नहीं होने से तथाकथित आवंटन उद्घोषणा के अभाव में नियमों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है। आवंटी ने आवंटन नियमों के अनुसार उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की तथा उक्त भूमि को कपटपूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा राज्य सरकार को धोखा देकर राजस्व रिकॉर्ड में तरदीब दिलाया है, जिससे उक्त आवंटन नियमों के प्रतिकूल है। आवंटी भूमिहीन नहीं है और न ही भूमि पर कोई कब्जा था, क्योकि भूमि आवंटन आवेदन पर रिपोर्ट पटवार हल्का सगतपुरिया द्वारा वर्णित कलम संख्या 3 में विपक्षी के खाते में 5 बीघा 10 व 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड बंशी का हिस्सा में होना बताया है व कलम संख्या 8 में विपक्षी को भूमिहीन कृषक नहीं होने के बावजूद भी विपक्षी को आवंटन कमेटी द्वारा मात्र खातेदारी खेतों के सहारे है, के आधार पर नाजायज लाभ पहुंचा कर सरकार को नुकसान पहुँचाया है।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

2— प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे अंकित किया कि विपक्षी का आवंटनशुदा भूमि आराजी संख्या 228 के नवीन नंबर 392 बने जिसके आवंटन पश्चात् नंबर 502/392 व 503/393 कयम हुए इन पर कभी भी कब्जा अतिक्रमण नहीं था और न ही हाल में कब्जा है, क्योंकि उक्त आराजी पर आवंटन के पूर्व यानि की सन 1973 से भी पूर्व समय से प्रार्थी पिता लेला पुत्र रूपा का उक्त आवंटित आराजी संख्या 228 रकबा 4 बीघा पर नाजायज कब्जा निरन्तर चला आ रहा है, जो हाल तक भी कायम है, जिसके कब्जे में कभी भी किसी ने भी कोई दखल नहीं किया है एवं न ही आवंटी ने कभी भी आवंटन आराजी पर काश्त प्राप्त नहीं करने आवंटन निरस्तगी के है। अपूर्ण आवंटन कमेटी द्वारा जो आवंटन किया है, उसके अनुरूप आवंटी ने कभी भी कब्जा प्राप्त नहीं किया है, न ही कभी भी काश्त किया है। इस प्रकार आवंटन नियमों का विपक्षी ने उल्लंघन कर कपटपूर्ण तरीके से राजस्व एजेंसियों से मिलकर अनुचित लाभ उठाने की गरज से आवंटन कराया है। अन्त में अंकन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में दिनांक 19.12.1975 को बंशी पुत्र रूपा अहीर को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व नियमों के विपरीत छल, कपटपूर्वक एवं भूमिधारक व्यक्ति को करने से आवंटन निरस्त फरमाते हुए आराजी नंबर 392 व आवंटन पश्चात् बने नवीन नंबर 502/392 व 503/393 को बिलानाम सरकार दर्ज फरमाने का आदेश प्रदान फरमावें।

3— **बाद जांच प्रकरण दिनांक 02.08.2018 को दर्ज रजिस्टर किया** जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या–1 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना द्वारा दिनांक 18.09.2018 को अधिकार पत्र पेश किया जाकर दिनांक 20.11.2019 को जवाब पेश किया गया।

4— **विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि** ग्राम सगतपुरिया की साबिक आराजी नंबर 228 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन मुझ विपक्षी संख्या–1 को दिनांक 19.12.1975 को विधि अनुसार आवंटन सलाहकार समिति के वांछित कोरम द्वारा किया गया था और इसके पूर्व आवंटन की उद्घोषणा नियमानुसार की गयी थी। नये सेटलमेंट में उक्त वर्णित साबिक आराजी नंबर 228 में से मुझे आवंटनशुदा भूमि के नवीन आराजी नंबर 502/392 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा व 503/393 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कायम किये गये है। आवंटन होने के पश्चात् मुझ विपक्षी संख्या–1 ने इस आवंटनशुदा भूमि पर प्रतिवर्ष नियमित तौर से काश्त की है और हजारों रूपये की लागत से इस भूमि को काबिल काश्त बनाया है। आवंटन सलाहकार समिति ने पूरी जांच करके ही मुझ विपक्षी संख्या–1 की पात्रता को ध्यान में रखते हुए ही मुझे उक्त भूमि का आवंटन किया था। मै भूमिहीन काश्तकार था तथा जो भूमि शामलाती खाते में बताई गयी है उसके अनुसार भी मै भूमिहीन काश्तकार ही था एवं भूमिहीन काश्तकार होने से ही मुझ विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटनशुदा साबिक आराजी नंबर 228 पर आवंटन के पूर्व मुझ विपक्षी का कब्जा था तथा आवंटन पश्चात् निरंतर काश्त करता आ रहा हूँ। मुझ विपक्षी संख्या–1 को किये गये आवंटन की जानकारी प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही थी किन्तु उन्होनें आवंटन के करीब 43 वर्ष बाद आवंटन निरस्ती हेतु बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवंटन नियमों की पूरी पालना करते हुए इस आवंटनशुदा भूमि पर मैनें काश्त की है जिसकी पूरी जांच करके ही राजस्व अधिकारियों ने मुझे गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्रदान किया है। आवंटनशुदा भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के बाद नियम 14(4) के तहत कोई भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना सर्वथा निराधार होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

9— हमनें पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी ग्राम सगतपुरिया सम्वत 2036–2040, खसरा गिरदावरी सम्वत 2041–2044, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2045–2048 एवं जमाबन्दी खतौनी ग्राम सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा सम्वत् 2071–2074 इत्यादि का अवलोकन किया, जिससे वादग्रस्त आराजियात पर अप्रार्थी संख्या–2 का कब्जा होना सिद्ध होता है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आवंटन आदेश जारी होने के लगभग 45 वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र निरस्ती बाबत् प्रस्तुत किया है, परन्तु उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई विधिक दस्तावेजात व युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किये है। लगभग 45 वर्ष पूर्व का आवंटन, आवंटी को खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ठोस आधार एवं विधिक दस्तावेजात के खारिज किया जाना पृथमदष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योकि प्रकरण में आवंटन आदेश दिनांक 19.12.1975 को जारी किया गया था जिसे भी काफी समय आज दिनांक तक व्यतीत हो चुका है एवं अप्रार्थी/आवंटी को आवंटन में प्राप्त भूमि को कृषि हेतु विकसित करने में भी काफी संसाधन लगाया जाना सम्भव है। इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त RBJ 2019 पेज 77 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि–**"राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (कृषि के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4)–आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिलने के बाद इन नियमों के तहत आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता।"** इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त इस मामले पर पूर्णतया लागू होते है।

10— राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970–नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त किये जाने के लिए मुख्यतया आवंटन आवेदन का कपट, fraud, misrepresentation एवं गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन किया जाना तथा आवंटन शर्त्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान है, किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई विधिक दस्तावेजात एवं शहादत पेश नहीं की है, जिससे यह सिद्ध हो कि आवंटी ने आवंटन नियमों की अवहेलना कर आवंटन कराया हो एवं आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं हो। इस प्रकार नियम विरूद्ध आवंटन कराना एवं आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने का आरोप प्रार्थी साबित नहीं करा सका है, जिससे अप्रार्थी संख्या–2 का आवंटन निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण इस न्यायालय को प्रथमदृष्टया प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार हम अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार पत्रावली में नहीं पाते है, इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तु प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/आवंटी श्री बंशी पुत्र रूपा अहीर निवासी ओज्याडा के पक्ष में ग्राम सगतपुरिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की साबिक आराजी नंबर 228 जिसके सेटलमेन्ट बाद जारी नये आराजी नम्बर 392 कायम हुए है, में से 04 बीघा भूमि का दिनांक 19.12.1975 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, हमीरगढ़ को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चमित मेहता)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा